न्यायालय माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

नि ग 952- II-16

प्रकरण क्रमांक /२०१६ निगरानी

बालु उर्फ नगजी पिता रामाजी आयु - धंधा- कृषि
निवासी - ग्राम मगरिया तह, व जिला उज्जैन (म.प्र.)
---निगरानीगर्ता

विरूद्ध

मांगीलाल पिता स्व. बोन्दाजी आयु - ८६ वर्ष धंधा - कृषि
निवासी - ग्राम मगरिया तह, व जिला उज्जैन (म.प्र.) हा.मु.
१६३ नागझिरी देवास रोड उज्जैन (म.प्र.)
.... प्रतिनिगरानीकर्ता

Dinakar Dixit Adv

निगरानी **आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म.प्र.भू.रा.सं.**

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील जिला उज्जैन (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक ४/अ - २७/१३-१४ से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी सादर प्रस्तुत हैं :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

०१. यह कि, आवेदक प्रतिनिगरानीकर्ता द्वारा एवं आवेदन पत्र धारा १७८ भु.रा.सं. अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जवाब निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसमें भूमि सर्वे क्रमांक १३६, २४७,२७८, कुल रकबा ०.६४० हेक्टेयर पर १/२ हिस्सा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया व यह बताया कि अपने हिस्से पर काबिज होकर कृषिकार्य करता चला आ रहा हुँ।

२, यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में मौके पर बटवारा फर्द बनाने हेतु पटवारी मौजा को नोटिस भेजा गया जिसमें पटवारी द्वारा यह बताया गया है कि आवेदन प्रतिनिगरानीकर्ता मौके पर काबिज नहीं है जबकि आवेदन प्रतिनिगरानीकर्ता ने अपने उक्त आवेदन पत्र में कृषि भूमि पर काबिज होना एवं कृषि कार्य करना बताया गया । बटवारा फर्द सहमती युक्त कब्जे एवं हिस्से के मान से ग्राय किये जाने योग्य नहीं है प्रकरण में दिनांक २/१/२०१६, ११/०१/२०१६, २०/०१/२०१६, ०३/०२/२०१६, को आवेदक प्रतिनिगरानीकर्ता के प्रतिपरीक्षण हेतु नियत है लेकिन निरन्तर आवेदक प्रतिनिगरानीकर्ता अपने कथन न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ न्यायालय द्वारा अंतिम से अंतिम अवसर पर प्रकरण खारिज नहीं करने से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी न्यायदान हेतु सादर प्रस्तुत है ।

निगरानी के आधार

... अंतिम अवसर निरन्तर दिये जाने

(195)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-952-तीन/16 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	